



2026:AHC:41302-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

क्रिमिनल मिसलेनियस रिट याचिका संख्या: - 3553 वर्ष 2026

कुशल

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : अनूप कुमार निर्मल, अनुपमा तिवारी, राजेश मौर्य
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है:-

“(i) प्रतिवादी संख्या-2 एवं 3 को यह निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे दिनांक 26.10.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो अपराध संख्या 0155 सन् 2025, धारा 281, 106(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना कर्मा, जनपद सोनभद्र में पंजीकृत है (अनुलग्नक संख्या-1), की निष्पक्ष एवं पक्षपातरहित विवेचना की निगरानी सुनिश्चित करें तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अल्प अवधि के भीतर यथाशीघ्र आरोप-पत्र प्रस्तुत करें, जिससे याचिकाकर्ता को न्याय प्राप्त हो सके।

(ii) प्रतिवादी संख्या-3/विवेचक को यह निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26.10.2025, अपराध संख्या 0155 सन् 2025, धारा 281, 106(1) भारतीय न्याय

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संहिता, थाना कर्मा, जनपद सोनभद्र (अनुलग्नक संख्या-1) में नामित प्रतिवादी संख्या-4/अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे कारागार भेजना सुनिश्चित करें।

(iii) प्रतिवादी संख्या-2 एवं 3 को यह निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26.10.2025, अपराध संख्या 0155 सन् 2025, धारा 281, 106(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना कर्मा, जनपद सोनभद्र (अनुलग्नक संख्या-1) की विवेचना लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता, उसके परिवारजनों तथा उक्त घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

(iv) इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार जो भी अन्य उपयुक्त एवं न्यायोचित आदेश/निर्देश उचित समझा जाए, वह पारित किया जाए।

(v) इस रिट याचिका का हर्जाना याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किया जाए।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता प्रथम सूचनाकर्ता है और उसने दिनांक 26.10.2025 को उक्त प्राथमिकी दर्ज कराई थी, किंतु पुलिस द्वारा मामले की विवेचना निष्पक्ष एवं पक्षपातरहित ढंग से नहीं की जा रही है।

4. उपर्युक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपनी शिकायतों को रेखांकित करते हुए तथा निष्पक्ष एवं निष्कपट विवेचना की मांग करते हुए प्रतिवादी संख्या-2/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या-2/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र वर्तमान प्रकरण में निष्पक्ष, पक्षपातरहित एवं त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपर्युक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

24 फरवरी, 2026

नदीम

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

(न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।